पत्र संख्या–आई0टी0 रिटर्न/2017–18/1561 /1718079 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: जनवरी, 02, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01.07.2017 से आरम्भ की गयी जी0एस0टी0 व्यवस्था में व्यापारियों द्वारा समस्त कार्यवाही GSTN Portal पर ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं। व्यापारियों द्वारा किये गये ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन माइग्रेशन का सम्पूर्ण विवरण सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध है। व्यापारियों द्वारा दाखिल किये गये GSTR-3B तथा अन्य रिटर्न के विवरण भी कर निर्धारण अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध हैं। उक्त के सम्बंध में GSTN द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के आधार पर डाटा का विश्लेषण कर रिपोर्टे Employee Information System के लॉगिन पेज में Link पर मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जी0एस0टी0 व्यवस्था में व्यापारी द्वारा अन्त:प्रान्तीय सम्व्यवहारों के साथ–साथ अर्न्तप्रान्तीय सम्व्यवहारों पर भी ITC Claim किये जाना है। अत: यह आवश्यक है कि व्यापारी द्वारा दिये गये ऑनलाइन रिटर्न की सूचना, Online Migrated Data, Online Registration Data, विभागीय ई–वे बिल के आधार पर उपलब्ध समस्त डाटा का विश्लेषण करके गलत ITC Claim अथवा Bogus Transaction को निकालते हुए प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाये।

उक्त कम में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जोन में जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा एक डाटा एनालिसिस सेल का निर्माण किया जायेगा जिसमें जोन के 02 अधिकारियों तथा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को नामित किया जायेगा। नामित अधिकारियों की सूचना निम्न प्रारूप में संख्या अनुभाग को उपलब्ध करायी जायेगी:–

जोन का नाम	इम्प्लाई आई0डी0	नामित अधिकारियों के नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर	ई–मेल आई0डी0
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

इन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध डाटा का निरन्तर विश्लेषण करते हुए व्यापारियों द्वारा किये जा रहे करापवंचन के प्रयासों की जांच अथवा गलत ITC Claim की रिपोर्ट जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर के नेतृत्व में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त समिति में जोन में नियुक्त निम्न सदस्य होंगें–

1. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
2. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
3. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

जोनल डाटा एनालिसिस सेल द्वारा Submit रिपोर्ट की Soft Copy संख्या अनुभाग की ई–मेल आई0डी0 upctstat@rediffmail.com पर ई–मेल भी की जायेगी । डाटा एनालिसिस सेल द्वारा प्रस्तुत

कमशः पृ0सं0–2

की गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा तथा उक्त विश्लेषण रिपोर्टों के आधार पर की गयी Innovative कार्यवाही को निम्न प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन अंकित किया जायेगा–

1. विभागीय Portal Website पर उपलब्ध Bill Uploading / Entry Module के Link पर उपलब्ध Module में ऑनलाइन अंकित किया जायेगा।

2. इस कार्य हेतु जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा Vyas Central के User ID Password के माध्यम से ही लॉगिन किया जायेगा।

3. लॉगिन करने के पश्चात Best Practicess Link पर Click करने पर निम्न 3 विकल्प उपलब्ध होंगें।

(i) Best Assesment Entry Page

(ii) SIB Entry Page

(iii) Mobile Unit Entry Page

4. उक्त विकल्पों पर क्लिक करके सम्बंधित विवरण को अंकित किया जायेगा। इस प्रकार से अंकित यह विवरण समस्त अधिकारियों के उपयोगार्थ MIS on Vyas के अन्तर्गत उपलब्ध VAT MIS के Link पर उपलब्ध होगी।

उपरोक्त समस्त कार्यों के लिये संख्या अनुभाग नोडल अनुभाग के रूप में कार्य करेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

2/01/18
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :– ज्वाइन्ट डायरेक्टर(संख्या)वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2/1/18
(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।